



**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2352]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 18, 2014/कार्तिक 27, 1936

No. 2352]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 18, 2014/KARTIKA 27, 1936

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2014

**का.आ. 2932(अ).**—संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, राष्ट्रपति एतद्वारा निदेश देते हैं कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं निराकरण) अधिनियम, 2013 (2013 का 14) के अन्तर्गत, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में, उपयुक्त सरकार के कार्यों का निर्वहन संबंधित संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक (जिसे उप राज्यपाल के रूप में जाना जाता है) द्वारा किया जाएगा।

[फा. सं. यू-11023/02/2014-यूटीएल]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2014

**S.O. 2932(E).**—In pursuance of the powers conferred under clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the functions of the appropriate Government under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (14 of 2013), shall be discharged in relation to the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands and Puducherry, by the Administrator (known as Lieutenant Governor) of respective Union Territory.

[F. No. U-11023/02/2014-UTL]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.